सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 10 फाल्गुन, 1942 (श०)
01 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 79

(1)	गृह विभाग	52
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	06
(3)	वित्त विभाग	05
(4)	उद्योग विभाग	07
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	02
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	02
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	04
(8)	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	01
	कुल योग --	79

अधिकारियों की कमी

*577. श्री अख्तरूल ईमान--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 18 जुलाई, 2019 में प्रकाशित शीर्षक "बिहार में आई0ए0एस0 अफसरों की कमी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 342 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध मात्र 248 अधिकारी ही कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी के कारण एक-एक पदाधिकारी पर तीन-तीन विभागों का प्रभार है, जिससे सरकार को विकास के कार्य समय पर पूरा नहीं होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने का विचार रखती है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में बिहार संवर्ग के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 पद स्वीकृत हैं । इन पदों में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिये सुरक्षित 78 पद, प्रशिक्षण सुरक्षित 6 पद, राज्य प्रतिनियुक्ति सुरक्षित 48 पद, कनीय स्तर के 32 पद तथा प्रोन्नति कोटा के 109 पद भी सम्मिलित हैं ।

सम्प्रति राज्य में भा0प्र0से0 के 202 पदाधिकारी कार्यरत हैं । उनमें से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में 11 पदाधिकारी, अधिसमय से ऊपर वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में 15, अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) में 27, अधिसमय वेतनमान से नीचे के वेतनमान (विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर) में 118, कनीय पद पर 31 हैं ।

इसके अतिरिक्त, भा0प्र0से0 के विभिन्न स्तरों के 31 पदाधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 14 भा0प्र0से0 पदाधिकारियों को एक से अधिक विभागों के अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त हैं । राज्य में सम्प्रति पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी विधि-व्यवस्था का संधारण एवं विकासात्मक कार्यों का निष्पादन भली-भाँति कर रहे हैं ।

(3) उपर्युक्त खंडों के आलोक में उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा तय नीति के तहत विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित संवर्गों के बीच अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का आवंटन किया जाता है । सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर भा0प्र0से0 के 54 पदाधिकारियों को आवंटित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 15 तथा चयन वर्ष 2020 के 16 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

औचित्य बतलाना

*578. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक (मद्य निषेध), पटना के कार्यालय का पत्र संख्या 118, दिनांक 6 जनवरी, 2021 द्वारा उत्पाद विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षियों द्वारा अवैध शराब से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की जाँच का आदेश निर्गत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश में संबंधित पदाधिकारियों के संबंधी या अन्य आश्रितों के मोबाइल के लोकेशन से की गई बातों की जाँच की भी व्याख्या कर अर्जित सम्पत्ति को चिह्नित करने का आदेश दिया गया था, जिसे पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय के डी0आर0 नम्बर 7981/डी0जी0पी0, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के द्वारा दबाव देकर पुलिस अधीक्षक (मद्य निषेध), पटना के पत्रांक 385, दिनांक 15 जनवरी, 2021 को निरस्त कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उक्त पत्र संख्या 118, दिनांक 6 जनवरी, 2021 को निरस्त करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) एवं (2) वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय में प्राप्त होने वाले सामान्य प्रकृति के परिवाद-पत्रों को विषय से संबंधित प्रभाग को पृष्ठांकित किया जाता है । जिन परिवाद-पत्रों में पुलिस महानिदेशक स्तर से कार्रवाई अपेक्षित होती है उसे संबंधित प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु पृष्ठांकित किया जाता है ।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय के डी0आर0 नम्बर 7981/डी0जी0पी0, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवेदन-पत्र को पुलिस महानिरीक्षक, मद्य निषेध को भेजा गया ।

मद्य निषेध प्रभाग में त्रुटिपूर्ण टिप्पणी अंकित होने के कारण उक्त पत्र को पुलिस अधीक्षक (मद्य निषेध) के पत्र संख्या 118, दिनांक 6 जनवरी, 2021 के द्वारा सभी जिलों को प्रेषित कर दिया गया । भूल पाये जाने पर उक्त पत्र को पत्र संख्या 385/मद्य निषेध, दिनांक 19 जनवरी, 2021 के द्वारा निरस्त किया गया है ।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दबाव देकर पुलिस अधीक्षक, मद्य निषेध के पत्र को निरस्त कराने का कथन सत्य नहीं है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है । उत्पाद कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं के सत्यापन तथा जाँचोपरान्त अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

पुलिस चौकी की व्यवस्था

*579. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के पीर नगर पंचायत के ललीया गाँव जो कि सहरसा जिला, मधेपुरा जिला के बॉडर पर अवस्थित है जहाँ से ग्वालपाड़ा थाना की दूरी लगभग 15 किलो मीटर है जिसके कारण बराबर चोरी, डकैती एवं हत्या की वारदात की घटनाएँ घटित होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*580. श्री मनोज मंजिल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआँव प्रखंड के गाँव नादी एवं पवना स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*581. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखंड दुर्गावती के पंचायत सावठ अन्तर्गत ग्राम-डहला में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण कब्रिस्तान के चारो तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का भवन निर्माण

*582. श्री मुरारी प्रसाद गौतम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के रेहल में पुलिस थाना का सृजन तीन वर्ष पूर्व किया गया था किन्तु अबतक भवन का निर्माण नहीं होने के कारण यह थाना कार्यरत नहीं हो सका है जिसके कारण आमजनता के जान-माल को खतरा बना रहता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त थाना का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*583. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर के ग्राम-हुकराहा एवं प्रखंड परसा के ग्राम-अन्याय में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया का भुगतान

*584. श्री राजेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ सुगर फैक्ट्री वर्ष 1997 से बंद है, बंद होने के पूर्व गन्ना कास्तकारों द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अब उक्त गन्ना कास्तकारों के बैंक खातों में बकाया भुगतान का प्रावधान किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आपूर्तिकर्ता गन्ना कास्तकारों में से 80 प्रतिशत की मृत्यू हो चुकी है परंतु फैक्ट्री में गन्ना आपूर्ति का रसीद मृत गन्ना कास्तकारों के आश्रितों अथवा अन्य के पास है ;

(4) यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मृत गन्ना कास्तकारों के आश्रितों अथवा अन्य को रसीद के एवज में बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*585. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत भोरे थाना कांड संख्या 258/2020 और 279/2020 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने के बावजूद उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को कबतक न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*586. श्री नीतीश मिश्रा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र झंझारपुर में स्थित ग्राम पंचायत लखनौर (पश्चिमी) वार्ड नं0 4 में स्थित कब्रिस्तान एवं ग्राम-सिरखरिया स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से जमीन पर अतिक्रमण होने का डर बना रहता है जबकि लखनौर (पश्चिमी) स्थित कब्रिस्तान की जमीन खाता नं0 2993, खेसरा नं0 4213 एवं रकबा 2 एकड़ 30 डी0 एवं सिरखरिया कब्रिस्तान की जमीन खाता नं0 1672, खेसरा नं0 3328, रकबा-9 एकड़ 90 डी0 में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों स्थानों पर स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्राम गृह का निर्माण

*587. श्रीमती स्वर्णा सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में अनुमंडल स्तर के कई कार्यालय है किंतु माननीय सांसद, माननीय विधायक या अन्य जन-प्रतिनिधियों के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि जिला मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यायल की दूरी 50 कि0 मी0 है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में विश्राम गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--प्रश्न का प्रथम खंड स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह/परिसदन की व्यवस्था होती है। अनुमंडल या प्रखंड/अंचल स्तर पर जिला अतिथि गृह/परिसदन के निर्माण की व्यवस्था नहीं है।

दरभंगा जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह अवस्थित है।

दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में विश्राम गृह निर्माण का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

चालकों को पुनः बहाल करना

*588. श्री मुकेश कुमार रौशन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अग्निशमन वाहनों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 600 वाहन चालकों की सेवा ली गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोरोना काल में कार्यरत कर्मियों को सेवा में बनाए रखने एवं वेतन/मानदेय का भुगतान करते रहने संबंधी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश एवं दिशा-निर्देश के बावजूद भी उक्त चालकों को सेवा से विमुक्त कर दिया गया है, जिससे इन्हें भयंकर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जबकि उनके स्थान पर अनुभवहीन वाहन चालकों की नियुक्ति की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हटाए गये चालकों को रिक्त पदों पर पुनः बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई

*589. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री राजेश कुमार सिंह उर्फ राजु सिंह, दीपू कुमार सिंह के विरुद्ध गोपालगंज जिला के बरौली थाना में भा0दं0वि0 की धारा 447/427/307/506/504/34 आई0 पी0 सी0 तथा 27 आर्म एक्ट के तहत प्राथमिकी संख्या-32/2021 दर्ज की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बरौली थाना कांड सं0 32/2021 के दोषी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्रवाई अबतक नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक थाना का निर्माण

*590. श्री छत्रपति यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत खगड़िया विधान सभा क्षेत्र में सदर खगड़िया में ट्रैफिक थाना नहीं रहने से ट्रैफिक के संचालन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सदर खगड़िया में ट्रैफिक थाना का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हस्तानांतरण शुल्क का भुगतान

*591. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्णियाँ सहित राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए बियाडा के द्वारा जमीन आवंटित किया जाता है जिसका भुगतान किस्त में लिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुराने बंद उद्योग के जमीन का पुनः बियाडा द्वारा आवंटन दूसरे उद्यमी को होने पर हस्तानांतरण शुल्क का भुगतान किस्त में लेने का प्रावधान किया गया था जिसे बाद में संशोधित कर हस्तानांतरण शुल्क का भुगतान एकमुश्त करने के कारण आदेश दिया गया जिससे नये उद्यमियों को औद्योगिक जमीन का हस्तानांतरण नहीं हो पा रहा है और नई औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुराने बंद उद्योग के जमीन का आवंटन दूसरे उद्यमी को होने पर हस्तानांतरण शुल्क का भुगतान किस्त में लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बैंक खोलना

*592. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के धपसिया ग्राम पंचायत के चौकी बाजार में सरकारी बैंक नहीं है, जबकि इसके आस-पास की आबादी पचास हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार चौकी बाजार में सरकारी बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना

*593. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिलता है जिसके कारण उन्हें अपनी कमाई से खर्च करके अपना इलाज करवाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिये चिकित्सा सुविधा कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना को विधान सभा क्षेत्र में रखना

*594. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड में ओ० पी० की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1980 में दी गयी है, जो भवन के अभाव में अभीतक पंचायत भवन में ही चल रहा है, जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र के तुरकौलिया प्रखंड के अधीन आता है जिसके कारण प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार भवन का निर्माण कराते हुये नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उक्त थाना को रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस फाड़ी खोलना

*595. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत थाना चौसा के अधीन ग्राम पंचायत लौवालगाम पश्चिम के बाबा विशुराउत स्थान में प्रत्येक सप्ताह हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं जहाँ उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर स्थाई तौर पर पुलिस फाड़ी कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*596. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के हसनपुर थानान्तर्गत रोसरा बाजार स्थित लाल साहेब सिंह के घर में रह रहे और देवधा ग्राम स्थित अपने गाँव से क्रमश: अरविन्द राय और संतोष राय, पिता-गणेश राय, ग्राम, देवधा, थाना हसनपुर, जिला-समस्तीपुर क्रमश: दिनांक 19 अक्टूबर, 2018 और दिनांक 13 मई, 2019 से लापता है जिसके संबंध में दिनांक 15 जून, 2019 को एवं इसके बाद भी थाना अध्यक्ष हसनपुर, पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर, डी० आई० जी०, आई० जी०, लहेरियासराय और मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पटना को लगातार गणेश राय द्वारा अपने आवेदनों में दोनों बेटे के लापता होने के संबंध में देवधा ग्राम के उमाशंकर प्रसाद सिंह, पिता जगरनाथ सिंह एवं राहुल सिंह, पिता उमाशंकर प्रसाद सिंह पर अगवा कर या करवाकर लाश गायब कर दिये जाने की शंका जाहिर करते हुये इसकी सूचना दी जाती रही है किन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाये वेतन का भुगतान

*597. श्री राजेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ सुगर फैक्ट्री वर्ष 1997 से बंद है जिसके कारण इसमें कार्यरत 350 कर्मियों का 1997 तक के वेतन का भुगतान अभीतक नहीं होने से संबंधित कर्मियों को भारी आर्थिक कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बकाये वेतन का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल मुख्यालय बनाना

*598. श्री राकेश कुमार रौशन--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला की कुल आबादी 30,00,000 (तीस लाख) से अधिक है और यहाँ तीन अनुमंडल यथा हिलसा एवं बिहारशरीफ 1978 ई० से तथा राजगीर 1995 ई० से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसलामपुर, परवलपुर एवं एकंगर प्रखंड मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय, हिलसा की दूरी एवं क्षेत्रफल अधिक होने के कारण आम नागरिकों के कार्यों के निष्पादन एवं सरकारी निरीक्षण कार्य में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसलामपुर को अनुमंडल मुख्यालय बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी करना

*599. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के संझौली पंचायत के संझौली गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण

*600. श्री चन्द्र शेखर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय अन्तर्गत अल्पसंख्यक 10+2 विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जमीन का प्रस्ताव ढाई वर्ष पूर्व ही भेज दिया गया था किन्तु निर्माण कार्य अभीतक प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार चयनित स्थान पर उक्त विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*601. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन का ज्ञापांक 5066, दिनांक 11 अप्रील, 2019 द्वारा विगत वर्ष से राज्य की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्निति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है जबकि किसी भी न्यायालय ने सामान्य प्रोन्नति पर रोक नहीं लगायी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्चतम न्यायालय में लंबित वाद के रहते हुये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा विशेष फार्मूला अपनाकर अपने कर्मियों को प्रोन्नति दी जा रही है, जबकि बिहार में प्रोन्निति की प्रत्याशा में कर्मचारी प्रोन्नति लाभ से वंचित हैं एवं कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार केन्द्र सरकार के फार्मूले के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों-पदाधिकारियों को प्रोन्नति कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमावली बनाना

*602. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में बेलट्रॉन के माध्यम से अनुबंध पर सरकार के विभिन्न विभागों में डाटा इंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर/प्रोग्रामर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल कार्यरत हैं जिनकी सेवा शर्तें एवं नियमावली अबतक विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रमांक 20 पर अन्यान्य विषय में सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्शोपरान्त सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली का गठन करने का आदेश प्राप्त है जिसके उपरांत सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा अपने विभागीय आदेश ज्ञापांक 181, दिनांक 29 जनवरी, 2021 द्वारा 5 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित कर्मचारियों का सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । इन कर्मियों की सेवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ निर्धारित शर्तों पर ली गयी है। सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658, दिनांक 5 फरवरी, 2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये सरकारी कर्मी नहीं है। इन्हें उक्त शर्तों के अतिरिक्त कोई लाभ देय नहीं है और न ही इनका नियमितीकरण सम्भव है।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) क्रमांक (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

फूड पार्क लगाना

*603. श्री पवन कुमार यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अन्तर्गत धुआवे मौजा के अंतर्गत 70 एकड़ जमीन किसानों से मेगा फूड पार्क के नाम पर 2013 में खरीदी गयी लेकिन आजतक वहां फूड पार्क नहीं लगा है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर मेगा फूड पार्क लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*604. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के प्रमुख फसल आम, लीची, कतरनी चावल, केला, गन्ना, मक्का, गेहूँ इत्यादि है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त उत्पादों से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाई नहीं रहने से फसलों का उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके लिये प्रश्नकर्ता द्वारा छः वर्ष से विभागीय स्तर पर अनुरोध किया जा रहा है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भागलपुर में किसान हित में फल एवं अनाज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*605. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में कार्यपालक सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत वर्ष 2018 में परीक्षा ली गयी, जिसमें 1586 परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित कर पैनल तैयार किया गया, पैनल की वैद्यता दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक ही थी परंतु अभीतक नियुक्ति नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार 2018 के पैनल के आधार पर कार्यपालक सहायक के पदों पर नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी करना

*606. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में लखना पंचायत के बालसर गाँव में स्थित कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ है, जिससे कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*607. श्री विनय कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू-प्रखण्ड के घटेरा पंचायत के ग्राम-पननीया में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*608. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के सेमापुर थाना में कांड सं० 286/20 दर्ज है जो धुरियाही, दिलारपुर, बौलिया, बाघमारा के किसानों के ऊपर महेशपुर दियारा में मोहन ठाकुर गिरोह के तांडव से संबंधित है, यदि हाँ, तो सरकार उस थाना कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार एवं मोहन ठाकुर के गिरोह के तांडव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चोरी की घटना को रोकना

*609. श्री ललित कुमार यादव--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''डकैती और फिरौती पर कसी नकेल, चोरों को पकड़ने में पुलिस फेल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत 6 सालों में एक लाख पचीस हजार से अधिक चोरी की घटनाएँ घटित हुयी है, जिसमें 300 से अधिक वाहन शहर से हर माह चोरी हो जाते हैं जबकि राज्य की पुलिस 70 प्रतिशत मामलों में चोरी हुये सामान बरामद करने में विफल रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त घटनाओं को रोकने के लिये कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशस्ति-पत्र व पेंशन देना

*610. श्री संदीप सौरभ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा 2009 एवं 2015 में जेपी सेनानियों को सम्मानित करते हुये मीसा को 10,000 रुपया, डीआईआर को 5,000 रुपया पेंशन दी जाती है और भूमिगत और फरार को सिर्फ प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देने की बात कही गयी किन्तु उक्त दौर में आंदोलन और संघर्ष में भूमिगत और फरार जेपी सेनानियों को अभीतक प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार भूमिगत एवं फरार जेपी सेनानियों को सम्मान देते हुये उन्हें प्रशस्ति-पत्र व पेंशन कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी करना

*611. श्री विजय कुमार मण्डल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के करंज पंचायत के ग्राम-मुस्तफापुर एवं महरोढ़ पंचायत के ग्राम भानस में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है जिससे बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*612. श्री अच्यमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत विशनपुर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, हरि नारायण मेहता टोला पड़ोकियाहाट, विशनपुर में कुल बच्चों की संख्या 216 है, जिसमें अल्पसंख्यक (मुस्लिम) बच्चों की संख्या 64 है जो कुल छात्रों का 30 प्रतिशत के बराबर है, इस विद्यालय का भवन अबतक नहीं बनाया गया है जबकि विद्यालय के पास 27 डिसमिल अपनी जमीन है जिसका खाता संख्या 605, खेसरा संख्या 460 है, विद्यालय भवन नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण हेतु एम0एस0डी0पी0 योजना से विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र का पुनः प्रारंभ

*613. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के मोहनपुर गाँव में दरभंगा महाराज द्वारा 99 वर्ष की लीज पर दी गई 5 एकड़ जमीन पर रोजगार एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये खादी ग्राम बोर्ड उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, मोहनपुर में चलता था किन्तु यह पिछले 20 वर्षों से बन्द है, जिसके कारण कुटीर उद्योग समाप्त होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर प्रशिक्षण केन्द्र पुनः प्रारंभ कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*614. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल में मकई की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार नवगछिया अनुमंडल में मकई की औद्योगिक इकाई कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*615. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बिहारीगंज प्रखंड के बभनगामा चौक पर पुलिस चौकी नहीं रहने से आये दिन चोरी, डकैती, छिनतई आदि की घटनाएँ घटित होती रहती हैं, जबकि बभनगामा चौक से बिहारीगंज थाना की दूरी 10 किलो मीटर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*616. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत विश्वविद्यालय थाना एवं मब्बी ओ0पी0 का अपना भवन नहीं रहने के कारण पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को कार्य करने में काफी कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना एवं ओ0पी0 के नये भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बैंक की शाखा खोलना

*617. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के बिझाड़ा ग्राम पंचायत के क्रुम हाट बाजार में सरकारी बैंक नहीं है, जबकि इसके आस-पास की आबादी एक लाख से अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार क्रुम हाट बाजार में सरकारी बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*618. श्री रितलाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दानापुर प्रखंड के सुलतानपुर कब्रिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के निवासी सैकड़ों वर्षों से मैयत दफनाने का कार्य करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान में विगत कई वर्षों से वार्ड संख्या 17, 18 एवं 19 का नाला का गंदा पानी तीन से चार फीट जमा रहने से यहाँ के निवासी को मैयत दफनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण करवाकर तथा जमीन पर चार फीट मिट्टी भराई कर जल-जमाव की समस्या से निदान दिलाते हुये मैयत दफनाने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना चहारदीवारी का निर्माण

*619. श्रीमती मीना कुमारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही थाना परिसर का चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण थाना प्रशासन एवं कर्मी को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाबूबरही थाना परिसर की चहारदीवारी का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यार्थियों को शिक्षा लोन से राहत दिलाना

*620. श्रीमती ज्योति देवी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न सरकारीकृत बैंकों के माध्यम से 2008-09 से शिक्षा लोन देना प्रारंभ हुआ जिसके अन्तर्गत शिक्षा पूरी होने तथा नौकरी लगने के बाद न्यूनतम ब्याज सहित किस्तों में लोन लौटाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोरोना महामारी के दौरान नौकरियाँ खत्म होने और नई नौकरी नहीं लगने के बावजूद बैंक द्वारा विद्यार्थियों को चक्रवृद्धि ब्याज सहित मूलधन लौटाने के लिये नोटिस और एफ0 आई0 आर0 करने की धमकी दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*621. श्री इजहारूल हुसैन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के हालामाला पंचायत के मोतिहारा गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*622. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के तेलघी पंचायत में बैंक नहीं रहने के कारण केला किसानों को खरीक बाजार अवस्थित बैंक से पैसे का लेनदेन करना पड़ता है जिसके कारण आये दिन लूटपाट की घटना होती रहती है, यदि हाँ तो सरकार तेलघी में बैंक कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। तेलघी पंचायत में भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक-एक ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। साथ ही तेलघी से लगभग 2.5 किलोमीटर के दायरे में खरीक में भारतीय स्टेट बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों की एक-एक शाखाएँ भी कार्यरत है। इस प्रकार तेलघी प्रखंड के निवासियों को बैंकिंग सुविधा प्राप्त है।

बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यवसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक लाभप्रदता के आधार पर लिया जाता है। यह बैंक का अपना निर्णय होता है।

नियुक्ति करना

*623. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा में स्वीकृत पुलिस बल संख्या 1117 में सिर्फ 755 पुलिस बल, इंस्पेक्टर में स्वीकृत पद 12 में से 09, एस0 आई0 में स्वीकृत पद 209 में 95, ए0 एस0 आई0 में स्वीकृत पद 170 में 140, सिपाही डी0 ए0 पी0 में स्वीकृत 585 में 486 तथा हवलदार स्वीकृत पद 117 में 55 बल ही उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार अपराध पर नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*624. श्री भरत बिन्द--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड भभुआ के पंचायत बेतरी के ग्राम दातियाँव अन्तर्गत स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*625. श्री अरूण शंकर प्रसाद--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में घातक अपशिष्ट व ई-वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के अनुसार राज्य में 166 औद्योगिक इकाइयों से प्रतिवर्ष 7629 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट निकल रहा है, जिसमें 70 प्रतिशत अकेले बरौनी रिफाईनरी से निकलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि देशभर में वर्ष 2016 में ई-वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत खतरनाक अपशिष्ट व इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट के निस्तारण की जिम्मेवारी संबंधित उत्पाद बेचने वाली कम्पनियों को ही करनी थी, जो अभीतक नहीं हो रहा है जिसके कारण राज्य में प्रदूषण बढ़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में उक्त व्यवस्था नहीं करने वाली कंपनियों पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*626. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया के बंजरिया प्रखण्ड के बीजबन्नी उत्तरी पंचायत के ग्राम बीजबन्नी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के फलस्वरूप असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*627. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखण्ड-दुर्गावती के अन्तर्गत पंचायत-जेवरी के ग्राम-जेवरी एवं छाता कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान के चारों तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 थाना खोलना

*628. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया विधान सभा के पानापुर थाना से कई पंचायतों यथा चकिया, सताजोड़ा, बेलौर, टोरहाजगतपुर एवं बसहीया की दूरी लगभग 10 कि0मी0 से अधिक है तथा यह थाना क्षेत्र उग्रवाद एवं नक्सल प्रभावित है और लोगों में भय का वातावरण बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार सताजोड़ा में ओ0 पी0 थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उड़ान योजना में शामिल करना

*629. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार उड़ान योजना की तहत छोटे शहरों को भी Air Connectivity से जोड़ना चाहती है, ताकि हर वर्ग के लोग हवाई जहाज की यात्रा कर सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि नेपाल सीमावर्ती पूर्वी चम्पारण जिला जो राष्ट्रपिता बापू की कर्म भूमि है, में महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान की एवं वानिकी महाविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सहित दर्जनों संस्थान कार्यरत हैं जिससे देश भर के छात्र/छात्राएं/आगन्तुकों का मोतिहारी आना जाना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मोतीहारी हवाई अड्डा को उड़ान योजना में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पत्रकार संरक्षण आयोग बनाना

*630. श्री निरंजन राय--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पत्रकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाये जाने के कारण राज्य में पत्रकारों की यथा सीतामढ़ी जिला के अजय विद्रोही, गया जिला के मिथलेश पाण्डेय, सीवान जिला के राजदेव नन्दन सहित अन्य पत्रकारों की आये दिन हत्या हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार पत्रकारों के संरक्षण हेतु राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का गठन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*631. श्री शंभु नाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रहम्पुर प्रखण्ड के नैनीजोर थाना का अपना भवन नहीं होने के कारण वह प्राईवेट मकान में चलता है, जिससे पुलिस कर्मी को कार्य करने में कठिनाई होती है जबकि थाना बिहार और उत्तर प्रदेश बोर्डर पर स्थित है यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के लिए जमीन का अधिग्रहण कर थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*632. श्रीमती स्वर्णा सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जमालपुर थाना का अपना भू-खण्ड और अपना भवन नहीं है जिसके कारण यह जीर्ण-शीर्ण भवन में संचालित हो रहा है, जो बिल्कुल असुरक्षित है, जबकि थाना के आस-पास गैर-मजरूआ आम और बेलागानी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार जमालपुर थाना हेतु भू-खंड अधिग्रहित कर थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एसीड युक्त जल प्रवाह रोकना

*633. ई० शशि भूषण सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र में स्थित चीनी मिल द्वारा एसीड युक्त जल प्रवाह किया जाता है जिससे किसानों का फसल जलकर नष्ट हो जाता है यदि हाँ, तो क्या सरकार किसान हित में इस एसीड युक्त जल प्रवाह को कबतक रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा प्रदान करना

*634. श्री चन्द्र शेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत घैलाढ़ में वर्ष 1989 से ओ० पी० कार्यरत है, जो सिंचाई विभाग के जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहा है, जिससे इसमें कार्यरत कर्मियों एवं अधिकारियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ० पी० को थाना का दर्जा प्रदान कर इसमें कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों के आवास सहित अलग भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*635. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में लोक सेवाओं का अधिकार वर्ष 2011 से लागू है, जिसके अधीन आय, आवासीय, जाति, जमीन का लगान, दाखिल, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र 15 दिनों में निर्गत करने का प्रावधान है जिसके लिये ऑन-लाइन आवेदन जमा किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वर सही तौर पर काम नहीं करने का कारण ऐसी सेवाएँ नियत समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सेवाओं को जनता को ससमय उपलब्ध कराने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी

*636. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखण्ड कल्याणपुर में पकड़ी दीक्षित पंचायत के पकड़ी दीक्षित मध्य विद्यालय के निकट कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कार्य सरकार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*637. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत के घोरमारा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*638. श्री अजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विभाग में कर्मचारियों का वेतन अन्य मदों में सी० एफ० एम० एस० (व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पद्धति से भुगतान की प्रक्रिया विगत 2 वर्षों से अधिक समय से अपनाई जा रही है, किन्तु उक्त पद्धति में माड्यूल के नहीं होने से कर्मचारियों का बकाए राशि का भुगतान ससमय नहीं होने से आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार सी० एफ० एम० एस० (व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पद्धति के माड्यूल में सभी प्रकार के लाँबित भत्तों आदि का भुगतान ससमय कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक । दिनांक 1 अप्रील, 2019 से CFMS लागू होने के फलस्वरूप सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Kuber Portal के माध्यम से e- Payment द्वारा सीधे भुगतानकर्ता के बैंक खाते में किया जाता है । इस प्रक्रिया में सीधे RBI द्वारा भुगतान की व्यवस्था है । CFMS के e-billing मॉड्यूल द्वारा बकाये राशि का भुगतान ससमय किया जा रहा है । कोषागार द्वारा इसका विपत्र पारित करने के पश्चात् RBI द्वारा निर्धारित समय के अंदर भुगतान की व्यवस्था है इस प्रकार CFMS प्रणाली द्वारा बकाये वेतन के साथ अन्य सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Payment के माध्यम से ससमय किया जा रहा है ।

एयरपोर्ट को विस्तारित करना

*639. श्री भरत बिन्द--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिले के प्रखंड भभुआ में अवस्थित पुराना एयरपोर्ट के चारों तरफ की दीवारें क्षतिग्रस्त होने के कारण अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त एयरपोर्ट को पुनः जीवित कर विस्तारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हाट बाजार का निर्माण कराना

*640. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी पेंटिंग के लिये विश्व-विख्यात तथा पद्मश्री से सम्मानित महासुंदरी देवी के नाम से हाट बाजार का निर्माण मधुबनी शहर में कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले पाँच वर्षों से विभाग से माँग की जा रही है परंतु कोई कार्रवाई अभीतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार हस्तकला एवं मधुबनी पेंटिंग के प्रचार-प्रसार एवं बिक्री के लिये पद्मश्री से सम्मानित महासुंदरी देवी के नाम से हाट बाजार का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी

*641. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत बड़हरवा महानंद पंचायत के आर०डब्लू०डी सड़क से दक्षिण की तरफ स्थित बाकरपुर कब्रिस्तान है जो संवेदनशील है, यदि हाँ, तो सरकार कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*642. श्री विनय कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखण्ड के डीहा पंचायत के ग्राम-बन्दरी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान घेराबंदी करना

*643. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत केवाला पंचायत के दोगच्छी, सोनबरसा, हंसवर मौजा बरेटा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*644. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड बरबट्टा पंचायत के फरसाडांगी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सर्कुलर को वापस लेना

*645. श्री संदीप सौरभ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस महानिदेशक द्वारा 1 फरवरी, 2021 को जारी किये गये सर्कुलर 1-1/43-05-05-2019/35 में विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को अपराध घोषित करते हुये एफ०आई०आर० होने की स्थिति में आंदोलनकारी को नौकरी और ठेका से वंचित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 (1), (ए), आर्टिकल 19, (1) (बी), आर्टिकल 19, (1) (सी), नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित रखती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गैर-लोकतान्त्रिक सर्कुलर को वापस लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० की स्थापना

*646. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के सतजोड़ा बाजार में पुलिस ओ०पी० नहीं है जिससे विगत 10 वर्षों से सतजोड़ा बाजार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं साथ ही बाजार में 15 दिन पूर्व लूट की अनेक घटनाएं हुयी हैं, यदि हाँ, तो सरकार सतजोड़ा बाजार में पुलिस ओ०पी० की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*647. श्री इजहारूल हुसैन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी पंचायत के देहरबाड़ी के ओमलिक बस्ती कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति-पत्र दिलवाना

*648. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह रक्षकों का चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2009 निकाला गया था, जिसमें तैयार की गयी 10 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में श्री जितेन्द्र कुमार साह, पिता-राधेश्याम साह, ग्राम-चितौड़, पो०-जयजोर, थाना+प्रखंड-आन्दर का स्थान प्रथम था, लेकिन आजतक इनको एवं अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*649. श्री महानंद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत प्रखण्ड कलेर पंचायत द० कलेर ग्राम-पुराकोठी के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से पशु कब्रिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडलीय कारा का निर्माण कराना

*650. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत सोनपुर को अनुमंडल बने 29 वर्ष एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बने 5 वर्ष हो गये हैं, परन्तु अभीतक सोनपुर में अनुमंडल कारा का निर्माण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार सोनपुर में अनुमंडलीय कारा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस बल की बहाली

*651. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिये पुलिस को इस कार्य में लगाया गया है जिसके कारण बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में पुलिस बल की अभी भी भारी कमी है और बिहार इस मामले में देश में बतीसवें स्थान पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संपूर्ण शराबबंदी की निगरानी के लिये अलग से पुलिस बल की बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाना

*652. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया विधान सभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं होने के कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है, जिसके कारण लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आपराधिक गतिविधियों पर काबू करने हेतु चिरैया विधान सभा क्षेत्र के चिरैया, पताही, बखरी, शिकारगंज सहित अन्य चौक-चौराहा एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*653. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना अन्तर्गत 15 पंचायत हैं जहां से 14 कि०मी० की दूरी पर स्थित भारत नेपाल के सीमावर्ती पंचायतों तक गश्ती करने एवं अपराध नियंत्रण करने में पुलिस बल को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था स्थापित करने के लिये एन०एच० 227 पर स्थित छतौनी ग्राम में पाँच पंचायत को मिलाकर अलग थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एथेनॉल का उत्पादन

*654. श्री नीतीश मिश्रा--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 में ''गन्ना प्रोत्साहन नीति'' के अन्तर्गत चीनी मिलों में एथेनॉल का उत्पादन प्रारंभ कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार अभीतक राज्य में हो रहे वर्षवार एथेनॉल का उत्पादन की स्थिति बतलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*655. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखण्ड स्थित थाना शनीचरी व थाना नवलपुर को भवन नहीं है जिसके कारण थाना नवलपुर एक पुराने सामुदायिक भवन में तथा थाना शनीचरी एक पुराने खपड़ैल खंडहर जैसे घर में चलता है जबकि दोनों ही थानों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थानों के लिये भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 01 मार्च, 2021 (ई०)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।